प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 159/2003

चंद्र कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 04.03.2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 159/2003

अपीलार्थी : चन्द्र कुमार, पिता लक्ष्मी प्रसाद, उम्र लगभग 24 वर्ष,
(अभिरक्षा में) निवासी ग्राम पौना, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना , पामगढ जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत अपील।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-
अपीलार्थी की ओर से श्री जी.एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता।
राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता।

.....

आदेश

(04.03.2011)

न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

1. इस अपील में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), जांजगीर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 195/2002 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 23-12-2002 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा एवं जिसके अंतर्गत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उसकी पत्नी कौशल्या बाई को हत्या की कोटी में आने वाले आपराधिक मानव वध कारित करने तथा दांडिक प्रकरण के साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया तथा क्रमशः आजीवन कारावास एवं तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य के, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडित किया है और इस प्रकार अवैधता कारित किया है।

3. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, घटना दिनांक 8-4-2002 को प्रातः लगभग 9 बजे अपीलार्थी चन्द्र कुमार अपनी पत्नी कौशल्या बाई (मृतका) के साथ घर में उपस्थित था। अपीलार्थी ने कौशल्या बाई के सिर पर घातक चोट पहुँचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात, दांडिक प्रकरण के साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से, अपीलार्थी ने अपने पिता लक्ष्मी प्रसाद के साथ मिलकर कौशल्या बाई के शव को जला दिया। तत्पश्चात, शव के जलाए जाने का तथ्य ग्रामीणों को ज्ञात हुआ। अपीलार्थी ने स्वयं मर्ग सूचना दर्ज कराई, जो प्रदर्श-पी/14 के रूप में अंकित की गई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुआ तथा प्रदर्श-पी/2 के माध्यम से साक्षियों से पूछताछ के पश्चात, मृतका के शव का मुत्यु समीक्षा प्रदर्श-पी/3 के अनुसार तैयार किया। घटनास्थल से साधारण मिट्टी एवं मिट्टी, जिसमें मिट्टीतेल की गंध थी, प्रदर्श-पी/4 के अनुसार जप्त की गई। शव को शव परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पामगढ़, प्रदर्श-पी/5 के माध्यम से भेजा गया। चिकित्सकों की टीम, जिसमें डॉ. डी.सी. चौधरी (अ.सा.-5) एवं डॉ. आर.के. अग्रवाल सम्मिलित थे, ने प्रदर्श-पी/5 के अनुसार शव परीक्षण किया तथा निम्नलिखित लक्षण/चोटें पाईं:—

- शरीर का लगभग 60% भाग जला हुआ था।
- घुटने के पास जलने के कारण सूजन पाई गई।
- सिर के अग्र भाग से खोपड़ी की त्वचा अनुपस्थित थी, अर्थात् फ्रंटल बोन दिखाई दे रही थी तथा फ्रंटल बोन दबा हुआ था।
- आहत भाग पर लालिमा पाई गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मृत्यु का कारण सिर पर लगी चोट के परिणामस्वरूप था तथा जलने की चोटें मरणोपरांत प्रकृति की थीं। मृत्यु का कारण कोमा था तथा मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी चन्द्र कुमार को अभिरक्षा में लिया गया। उसने बढ़ई की कुल्हाड़ी के संबंध में खुलासा कथन प्रदर्श-पी/8 के अंतर्गत दिया, जिसके आधार पर उसी के बताने पर टूटी हुई बेंत सहित उक्त कुल्हाड़ी की बरामदगी प्रदर्श-पी/9 के अनुसार की गई। शव परीक्षण के समय मृतका के शरीर पर पाए गए सामानों को प्रदर्श-पी/10 एवं पी/11 के अनुसार जप्त किया गया। घटनास्थल से जले हुए कपड़ों के टुकड़े, लालटेन तथा मिट्टीतेल का डिब्बा प्रदर्श-पी/12 के अनुसार जप्त किया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी/16 के अनुसार तैयार किया गया। अंततः प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी/17 के अनुसार दर्ज की गई। जप्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया और प्रदर्श-पी/22 के अनुसार मिट्टीतेल की उपस्थिति की पुष्टि हुई।

4. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। पटवारी द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी/1 के अनुसार तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को सुपुर्द किया, जहाँ से यह प्रकरण विचारण हेतु विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने कुल चौदह साक्षियों का परीक्षण किया। अपीलार्थी एवं सह-अभियुक्त के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई परिस्थितियों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए उक्त अपराध में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया। अपीलार्थी ने विशिष्ट बचाव लिया है कि अश्वनी बाई (अ.सा.-3) एवं उसके पति राज कुमार ने मृतका के दाह-संस्कार एवं अंतिम क्रियाकर्म हेतु धन की माँग को लेकर उसे झूठा फँसाया है।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी के पिता सह-अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थी को उपर्युक्त प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढतापूर्वक तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी कौशल्या बाई की हत्या नहीं की है और न ही दांडिक प्रकरण के साक्ष्य को छिपाया है। कौशल्या बाई सीढ़ियों से नीचे उतरते समय किसी नुकीली वस्तु पर गिर गई, जिससे उसे चोटें आईं और उन्हीं चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी को अपनी पत्नी कौशल्या बाई की हत्या कारित किए जाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। कौशल्या बाई का दाह-संस्कार एवं अंतिम क्रियाकर्म अपीलार्थी के चाचा राज कुमार तथा चाची अश्वनी बाई (अ.सा.-3) द्वारा किया गया। इसके पश्चात् उन्होंने कौशल्या बाई के अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 50,000–60,000/- रुपये की राशि की माँग की, जिसे अपीलार्थी देने की स्थिति में नहीं था। इसी कारण अपीलार्थी के चाचा एवं चाची ने उसके विरुद्ध झूठे कथन दिए। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन ने साक्षियों का परीक्षण काफी विलंब के पश्चात् किया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। कथित चक्षुदर्शी साक्षियों ने भी तत्काल हमलावर का नाम उजागर नहीं किया।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **बालकृष्णा *बनाम उड़ीसा राज्य***[1] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हत्या के प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी का कथन दर्ज करने में किया गया अनुचित एवं अस्पष्टीकृत अत्यधिक विलंब, ऐसे साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे ***उड़ीसा राज्य बनाम श्री ब्रह्मानंद नंदा***[2] प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि चक्षुदर्शी साक्षी डेढ़ दिन तक हमलावर का नाम प्रकट नहीं करता है, तो उसका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता तथा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **गणेश भवन पटेल *एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य***[3] प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संदिग्ध अभियोजन की कहानी के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता तथा विवेचना अधिकारी द्वारा साक्षियों के कथन दर्ज करने में हुए विलंब का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने **साहीया *बनाम राज्य उत्तर प्रदेश***[4] के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि घटना के 15 दिन बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया गया साक्षी का कथन संदेहास्पद हो जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **उत्तरप्रदेश राज्य *एवं एक अन्य बनाम जग्गू उर्फ जगदीश एवं अन्य***[5] प्रकरण का उल्लेख किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन के लिए सभी साक्षियों का परीक्षण करना आवश्यक नहीं है, किंतु ऐसे साक्षी का परीक्षण करना आवश्यक है, जिसका साक्ष्य अभियोजन के प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो; ऐसे साक्षी का परीक्षण न किया जाना अभियोजन की सत्यता पर गंभीर प्रभाव डालता है। विद्वान अधिवक्ता ने **पंजाब राज्य *बनाम भजन सिंह एवं अन्य***[6] प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि सड़-गल चुके शव को शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सक द्वारा एनाटॉमी विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा गया हो, तो अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **बद्री *बनाम राजस्थान राज्य***[7] प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एकमात्र साक्षी का साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, किंतु न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या केवल एक साक्षी के परिसाक्ष्य पर भरोसा करना युक्तियुक्त रूप से संतोषजनक है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **मुलुवा *पिता बिंदा एवं अन्य***

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1 AIR 1971 SC 804
2 AIR 1976 SC 2488
3 AIR 1979 SC 135
4 JT 2002 (6) SC 318
5 AIR 1971 SC 1586
6 AIR 1975 SC 258
7 AIR 1976 SC 560

बनाम मध्य प्रदेश राज्य[8] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी दुर्बल साक्षी का साक्ष्य केवल इस कारण से विश्वसनीय नहीं हो जाता कि उसकी पुष्टि समान प्रकृति के अनेक साक्षियों द्वारा की गई हो; क्योंकि साक्ष्य को गिना नहीं, बल्कि तौला जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने **बलदेव सिंह *बनाम पंजाब राज्य***[9] प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस के समक्ष दिए गए कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **मयूर पानाभाई शाह *बनाम गुजरात राज्य***[10] प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सक के साक्ष्य की विवेचना भी अन्य साक्षियों के साक्ष्य की भाँति ही किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **मो. अंकुश *एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय***[11] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य को स्वीकार करते समय, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(3) के अंतर्गत केस डायरी में दर्ज कथनों से सत्यापन करना अवैध है। विद्वान अधिवक्ता ने **आर्की नवल किशोर *कुजुर बनाम बिहार राज्य***[12] प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उद्देश्य के अभाव में तथा अभियुक्त के आचरण के संबंध में प्रबल संदेह के आधार पर हत्या की पुष्टि न होने की स्थिति में, अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का दृढतापूर्वक विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि केवल अपीलार्थी ने अपने ही घर में अपनी पत्नी का मानव वध हत्या कारित किया है तथा दांडिक प्रकरण के साक्ष्य को छिपाया है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपर्युक्त प्रकार से उचित रूप से दोषसिद्ध एवं दंडित किया है।

11. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की विवेचना करने के लिए, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

12. वर्तमान प्रकरण में, डॉ. डी.सी. चौधरी (अ.सा.-5) के साक्ष्य के अनुसार मृतका के सिर पर मृत्युपूर्व चोट पाई गई, सिर का एक भाग अनुपस्थित था, जलने की चोटें मृत्योत्तर थीं तथा मृत्यु का कारण कोमा था। डॉ. डी.सी. चौधरी (अ.सा.-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि सिर

8 AIR 1976 SC 989
9 AIR 1991 SC 31
10 AIR 1983 SC 66
11 2010 CRI.L.J. 861
12 1995 (4) Crimes 855

के सामने के क्षेत्र का एक भाग अनुपस्थित था तथा उन्होंने डॉ. आर.के. अग्रवाल के साथ शव-परीक्षण इस आधार पर किया कि मृतका एक युवा महिला की असामान्य मृत्यु का मामला था। डॉ. डी.सी. चौधरी (अ.सा.-5) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतका का सिर अत्यधिक रूप से क्षतिग्रस्त था और ऐसी चोट लगने के बाद कम से कम वह स्वयं को आग लगाने की स्थिति में नहीं थी। मिलाऊराम (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि कौशल्या बाई का जला हुआ शव पहली मंज़िल (पटाव) से मृत्यु समीक्षा के लिए नीचे लाया गया तथा मृत्यु समीक्षा प्रदर्श-पी/3 के अनुसार तैयार किया गया, तथा शव बुरी तरह जला हुआ था।

13. अश्वनी बाई (अ.सा.-3), जो अपीलार्थी के चाचा की पत्नी हैं, ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी कौशल्या बाई के सिर पर घातक चोट पहुँचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी ने अपनी पत्नी का मानव वध जो हत्या की कोटि में आता है कारित किया है। उसके साक्ष्य के कंडिका 7 के अनुसार, अपीलार्थी अपने घर में उपस्थित था और कुछ समय पश्चात् सभी ने देखा कि अपीलार्थी के घर की पहली मंज़िल का कमरा जला हुआ था। कंडिका 7 एवं 8 में उसने यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने उसे धमकाया था, इसलिए उसी दिन उसने यह घटना किसी को नहीं बताई, किंतु जब अगले दिन उसका पति शक्ति से (जहाँ वह सेवा में था) घर आया, तब उसने उसे पूरी घटना बताई और उसके बाद लगभग एक माह पश्चात् उसने पुलिस को इस घटना के संबंध में बताया। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया और यह स्थापित करने का प्रयास किया कि वह चक्षुदर्शी नहीं है तथा उसने घटना को होते हुए नहीं देखा। इस साक्षी को उसके पूर्व कथनों से आमने-सामने कराया गया, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज प्रदर्श-डी/1 एवं डी/3 तथा धारा 164 के अंतर्गत दर्ज प्रदर्श-डी/2 हैं। प्रदर्श-डी/1, जो घटना के दूसरे दिन दिनांक 9-4-2002 को दर्ज किया गया था, में उसने अपीलार्थी द्वारा कौशल्या बाई की हत्या कारित किए जाने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था। किंतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 31-5-2002 को दर्ज किए गए कथन (प्रदर्श-डी/2) तथा इसके समर्थन में पुलिस द्वारा दिनांक 7-5-2002 को दर्ज किए गए अनुपूरक कथन प्रदर्श-डी/3 में उसने घटना का विस्तार से वर्णन किया है। अपने साक्ष्य के कंडिका 4 में उसने यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने कौशल्या बाई के टीवी एवं पंखे को फेंककर तोड़ दिया था, जो संभवतः विवाह के समय उसे दिए गए थे।

14. बाबूलाल (अ.सा.-4), जो मृतका का बड़ा भाई है, ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि उसे अपनी बहन की मृत्यु की सूचना मलिकराम एवं प्रदीप शर्मा से मिली, तत्पश्चात् वह अपने माता-पिता के साथ

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तत्काल अपीलार्थी के घर पहुँचा, जहाँ उसने टीवी, पंखा एवं साइकिल को टूटी हुई अवस्था में देखा, अन्य सामान बिखरा हुआ था तथा जिस कमरे में सामान बिखरा था वहाँ से मिट्टीतेल की गंध आ रही थी। पुलिस द्वारा कौशल्या बाई का शव एक कमरे से बाहर निकाला गया, जो जली हुई अवस्था में था।

15. विवेचना अधिकारी एल.पी. पटेल (अ.सा.-12) ने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी/16 के अनुसार तैयार किया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि अपीलार्थी के घर में टूटी हुई मेज़, टूटा हुआ पंखा, टूट हुआ टीवी, टूटा हुआ टेबल-फैन, टूटी हुई साइकिल तथा अन्य सामान पाए गए थे। प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में अपीलार्थी ने उक्त तथ्यों, अर्थात् उसके घर में टूटे हुए सामान तथा सामान के बिखरे होने के तथ्य को अस्वीकार किया है।

16. बचाव पक्ष ने बाबूलाल (अ.सा.-4) से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया, किंतु उसके समक्ष टूटे हुए सामान अथवा अपीलार्थी के घर में बिखरे पड़े सामान के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया। उक्त तथ्य को घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी/16 तथा एल.पी. पटेल (अ.सा.-12) के साक्ष्य से भी समर्थन प्राप्त होता है। बचाव पक्ष ने अश्वनी बाई (अ.सा.-3) से भी इस आधार पर विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया कि उसने घटना नहीं देखी, वह चक्षुदर्शी नहीं है तथा धन की माँग के कारण वह अपीलार्थी को झूठा फँसा रही है; किंतु इस साक्षी को भी अपीलार्थी के घर में टूटे एवं बिखरे सामान के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया। अपीलार्थी की बचाव के अनुसार, जलने की उक्त घटना के समय वह अपने घर में उपस्थित नहीं था। उसने उससे पूछे गए प्रश्न में उक्त क्षतिग्रस्त एवं टूटे हुए सामान तथा बिखरे पड़े सामान के तथ्य को नकारा है, किंतु अश्वनी बाई (अ.सा.-3), बाबूलाल (अ.सा.-4), एल.पी. पटेल (अ.सा.-12) के साक्ष्य तथा घटनास्थल नजरी नक्शा प्रदर्श-पी/16 से यह तथ्य सिद्ध हो जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. मिलाऊराम (अ.सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि मृतका कौशल्या बाई के अंतिम संस्कार एवं अंतिम क्रियाकर्म अश्वनी बाई (अ.सा.-3) एवं उसके पति राज कुमार द्वारा किए गए थे। राज कुमार ने इन क्रियाओं के खर्च की माँग की थी तथा अपीलार्थी की माता को यह धमकी दी थी कि यदि राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे अपीलार्थी एवं उसके पिता के विरुद्ध कथन देंगे। मिलाऊराम (अ.सा.-2) एवं अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य के अनुसार, अश्वनी बाई (अ.सा.-3) एवं अपीलार्थी के परिवार के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। इन परिस्थितियों में, झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से पूर्व गहन परीक्षण की आवश्यकता है।

18. पुलिस ने अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के दो कथन दर्ज किए हैं, अर्थात् प्रदर्श-डी/1 दिनांक 9-4-2002 एवं प्रदर्श-डी/3 दिनांक 7-5-2002, तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत उसका कथन (प्रदर्श-डी/2) मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 31-5-2002 को दर्ज किया गया। घटना के दूसरे दिन दर्ज किए गए प्रथम कथन प्रदर्श-डी/1 में उसने अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा था, किंतु बाद के कथनों प्रदर्श-डी/3 एवं प्रदर्श-डी/2 में उसने घटना के संबंध में विस्तार से कथन दिया है।

19. *बालकृष्ण* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हत्या के प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी का कथन दर्ज करने में किया गया अस्पष्टीकृत एवं अत्यधिक विलंब, ऐसे साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देता है। साक्षियों के कथन दर्ज करने में हुए विलंब के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने *गणेश भवन* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह कहा है कि चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन दर्ज करने में केवल कुछ घंटों का विलंब, अपने आप में, अभियोजन प्रकरण की कोई गंभीर कमी नहीं माना जा सकता। किन्तु यदि ऐसी सहवर्ती परिस्थितियाँ मौजूद हों, जो यह संकेत दें कि विवेचक जानबूझकर समय व्यतीत कर रहा था ताकि प्रकरण को दिया जाने वाला स्वरूप तथा प्रस्तुत किए जाने वाले चक्षुदर्शी साक्षियों का निर्धारण किया जा सके, तो ऐसा विलंब गंभीर रूप धारण कर सकता है। *साहिया* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी महत्वपूर्ण साक्षी का कथन दर्ज करने में 15 दिनों का अस्पष्टीकृत विलंब अभियोजन के लिए घातक होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वर्तमान प्रकरण में, विवेचना अधिकारी ने साक्षी का कथन दर्ज करने में कोई विलंब नहीं किया है। अश्वनी बाई (अ.सा.-3) का कथन घटना के दूसरे दिन, दिनांक 9-4-2002 को दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। लेकिन लगभग एक माह बाद उसका अनुपूरक कथन प्रदर्श-डी/2 के अनुसार दर्ज किया गया, जिसमें उसने घटना का विस्तृत विवरण दिया, और तत्पश्चात् मजिस्ट्रेट द्वारा उसका कथन प्रदर्श-डी/3 के अनुसार दर्ज किया गया। अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उसने स्वयं कुछ समय पश्चात् पुलिस को घटना के विषय में सूचित किया, लेकिन उसने दूसरे दिन अपीलार्थी का नाम प्रकट नहीं किया। वर्तमान प्रकरण में, विवेचना अधिकारी ने इस साक्षी का कथन किसी लंबी अवधि के पश्चात दर्ज नहीं किया और कथन दर्ज करने में विलंब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ***श्री ब्रह्मानंद*** **(पूर्वोक्त)** प्रकरण में कहा है, यदि हत्या के प्रकरण में पूरी अभियोजन कथा उस व्यक्ति के साक्ष्य पर निर्भर हो जो स्वयं को चक्षुदर्शी मानता है और जिसने घटना के डेढ़ दिन बाद तक हमलावर का नाम प्रकट नहीं किया, तथा गैर-प्रकटीकरण के लिए प्रस्तुत स्पष्टीकरण अविश्वसनीय पाया जाए, तो ऐसा गैर-प्रकटीकरण एक गंभीर

दुर्बलता माना जाता है, जो उस साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता को नष्ट करता है और उसका साक्ष्य अविश्वसनीय होने के कारण अस्वीकार किया जाना चाहिए।

21. वर्तमान प्रकरण में, अश्वनी बाई (अ.सा.-3) ने दूसरे दिन अपीलार्थी का नाम प्रकट नहीं किया, लेकिन लगभग एक माह बाद उसने अपीलार्थी का नाम बताया। उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि अपीलार्थी ने उसे धमकी दी थी कि वह उसे भी मार देगा, इसलिए उसने दूसरे दिन जब उसका कथन दर्ज किया गया, तब अपीलार्थी का नाम नहीं बताया। यद्यपि, लगभग एक माह बाद उसने स्वयं पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया, तत्पश्चात् उसका अनुपूरक कथन विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया और मजिस्ट्रेट ने भी उसका कथन दर्ज किया। इस साक्षी और मिलाऊराम (अ.सा.-2) से पूछे गए सुझावों से यह स्पष्ट होता है कि घटना से 12-14 वर्ष पूर्व अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के परिवार और अपीलार्थी के परिवार के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। लेकिन तथ्य यह है कि वे रिश्तेदार और पड़ोसी हैं। इन परिस्थितियों में झूठे फँसाए जाने या चोट पहुँचाने की धमकी की संभावना असाधारण नहीं है। इसलिए अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य को स्वतंत्र स्रोतों से सारभूत संपुष्टि की आवश्यकता है।

22. अश्वनी बाई (अ.सा.-3) वह साक्षी हैं जिन्होंने घटना के समय अपीलार्थी के घर में मेज़, पंखा, टीवी, साइकिल टूटे होने और अन्य सामान बिखरे होने का अभिसाक्ष्य दिया, जिसे मृतका के भाई बाबूलाल (अ.सा.-4) के साक्ष्य और विवेचना अधिकारी एल.पी. पटेल (अ.सा.-12) द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श-पी/16) से समर्थन प्राप्त है। बचाव पक्ष ने अश्वनी बाई (अ.सा.-3) से उक्त तथ्यों के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया, जबकि अपीलार्थी ने धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया। यह दर्शाता है कि अश्वनी बाई (अ.सा.-3) ने उक्त तथ्यों को देखा या उनके साक्षी रही हैं। यदि शत्रुता का स्तर उच्च होता, तो उसके लिए अपीलार्थी के घर जाना संभव नहीं था, लेकिन उसके साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि शत्रुता इतनी उच्च श्रेणी की नहीं थी। वह अपीलार्थी के घर के पास ही रहती है और जब उसने विवाद की आवाज सुनी, तो वह अपीलार्थी के घर के पास गई और घटना देखी। निश्चित रूप से, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ***मुलुवा*** **(पूर्वोक्त)** के प्रकरण में कहा है, वह एक असंपुष्ट साक्षी हैं और उनके साक्ष्य केवल इसलिए विश्वसनीय नहीं बन जाते कि उनकी संपुष्टि समान प्रकार के कई साक्षियों द्वारा की गई हो। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ***बद्री (पूर्वोक्त)*** *के* प्रकरण में कहा है, दोषसिद्धि एकल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, लेकिन एकल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए न्यायालय को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या वह व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के उद्देश्य से एकल साक्षी के परिसाक्ष्य पर युक्तिसंगत रूप से भरोसा कर सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. वर्तमान प्रकरण में, अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य की संपुष्टि ठोस साक्ष्यों द्वारा होती है, अर्थात् टूटे हुए टीवी, पंखा, मेज़ की उपस्थिति और अन्य सामान का बिखरा होना। अपीलार्थी के लिए यह उचित नहीं था कि वह ऐसे सामान को तोड़े जो कौशल्या बाई (मृतका) के विवाह के समय उसे प्राप्त हुए थे। यह अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य की पर्याप्त संपुष्टि करता है कि उसने घटना देखी और अपीलार्थी ने अपनी पत्नी कौशल्या बाई को घातक चोट पहुँचाई। डॉ. डी.सी. चौधरी (अ.सा.-5) के चिकित्सीय साक्ष्य और मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श-पी/3) के अनुसार, खोपड़ी पर चोट के निशान और रक्त के धब्बे पाए गए, जिन्हें मृत्यु समीक्षा में भी दर्ज किया गया। डॉ. डी.सी. चौधरी (अ.सा.-5) ने यह भी देखा कि फ्रंटल बोन के क्षेत्र में, जो अनुपस्थित था, रक्त रिसाव और लाल रंग मौजूद था; जलने की चोट लगभग 60% थी और पूरा शरीर नहीं जला था। इन परिस्थितियों में, ऐसे चोट वाले क्षेत्र में रक्त या लाल रंग का होना असामान्य नहीं था। उल्लेखित सिर की चोट मृत्युपूर्व थी और जलने की चोट मृत्योत्तर थी। यदि सिर पर मृत्युपूर्व चोट इतनी गंभीर हो कि खोपड़ी का भाग अनुपस्थित हो गया हो, तो मृतका के लिए स्वयं को आग में झोंकना संभव नहीं था।

24. *मयुर (पूर्वोक्त) के* प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सक के साक्ष्य की विवेचना किसी अन्य साक्षी के साक्ष्य की भाँति किया जाना चाहिए और यह कोई अकाट्य अनुमान नहीं है कि चिकित्सक हमेशा सत्य का साक्षी होता है। वर्तमान प्रकरण में, चिकित्सक द्वारा चोटों के संबंध में पाए गए निष्कर्षों पर विचार किया गया है, जो अन्य साक्षियों के साक्ष्य तथा मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन से भली-भांति पुष्ट होती है। अतः चिकित्सक के साक्ष्य को कोई अतिरिक्त या विशेष महत्व नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. बचाव पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति ने अपीलार्थी का घर नहीं जलाया और मृतका के शव पर मृत्योत्तर जलने की चोट होने की कोई संभावना नहीं थी। अपीलार्थी घर में उपस्थित था। उसे यह समझाना आवश्यक था कि मृतका को मृत्युपूर्व गंभीर सिर की चोट और मृत्यु के उपरांत जलने की चोट कैसे लगी, लेकिन अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। ये महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ भी अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य की पर्याप्त संपुष्टि करती हैं कि अपीलार्थी ने मृतका को मृत्युपूर्व चोट पहुँचाई और ऐसा चोट पहुँचाने के बाद तथा कौशल्या बाई की मृत्यु के पश्चात्, उसके शव को उसने आग लगा दी।

26. जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **जग्गू (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में कहा है, वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष ने यह बचाव नहीं किया कि किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य वास्तविक घटना का खुलासा करने के लिए

आवश्यक है; साथ ही, बचाव पक्ष ने स्वयं ऐसे किसी साक्षी का परीक्षण भी नहीं कराया। इसलिए, ***जग्गू (पूर्वोक्त)*** *प्रकरण* को वर्तमान प्रकरण से तथ्यों के आधार पर भिन्न माना जा सकता है।

27. जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ***बलदेव सिंह (पूर्वोक्त)*** *प्रकरण* में कहा है, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को केवल पुलिस के समक्ष दिए गए साक्षी के कथन के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया, बल्कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उसके समक्ष प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध एवं दंडित किया। इसलिए, ***बलदेव सिंह (पूर्वोक्त)*** *प्रकरण* को वर्तमान प्रकरण से तथ्यों के आधार पर भिन्न माना जा सकता है।

28. जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **भजन सिंह *(पूर्वोक्त)*** *प्रकरण* में कहा है, वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन की विफलता या अन्य विशेषज्ञ से प्रतिवेदन न प्राप्त होने के कारण कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया गया है। इसलिए, **भजन सिंह *(पूर्वोक्त)*** *प्रकरण* को भी वर्तमान प्रकरण से तथ्यों के आधार पर भिन्न माना जा सकता है।

29. जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने *मो.* ***अंकुश (पूर्वोक्त)*** प्रकरण में कहा है, वर्तमान प्रकरण में साक्षियों के साक्ष्य पर उनके पूर्व कथनों जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(3) के अंतर्गत दर्ज किए गए थे, के आधार पर भरोसा नहीं किया गया है। इसलिए, ***मो. अंकुश (पूर्वोक्त)*** *प्रकरण* को वर्तमान प्रकरण से तथ्यों के आधार पर भिन्न माना जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

30. जैसा कि पटना उच्च न्यायालय ने **आर्की नवल *(पूर्वोक्त)*** *के* प्रकरण में कहा है, अपराध के सिद्ध होने का कोई साक्ष्य न होने पर केवल अभियुक्त के आचरण के संबंध में प्रबल संदेह होना अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान प्रकरण में, अश्वनी बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य, जो बाबूलाल (अ.सा.-4) के कुछ साक्ष्यों, डॉ. डी.सी. चौधरी (अ.सा.-5) के चिकित्सीय साक्ष्यों, शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/5) और घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श-पी/16) से अच्छी तरह संपुष्टि प्राप्त करते हैं, पर्याप्त हैं यह निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए कि केवल अपीलार्थी ने ही कौशल्या बाई की मानव वध जो हत्या की कोटि में आता है कारित की और दांडिक प्रकरण के साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से उसके शव को आग लगा दी।

31. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्त प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडित किया। साक्ष्यों की सुक्ष्मता से जाँच करने पर, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं दिखाई देती, जो हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है।

32. परिणामस्वरूप, अपील गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Angel Kujur, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur